

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

(जिला न्यायालय परिसर)

क्रमांक:- २०२६/एनएलए-०३/७२२

दिनांक:- ०६/०८/२६

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ४(२६३)/रालसा/विशेष सचिव/एनएलए-३/२०२६/२१२९१-२१३३४ दिनांक १२.०८.२०२६ में प्रदत्त निर्देशानुसार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों सहित राजस्व मामलों के लिए दिनांक १०.१०.२०२६ (शनिवार) को आयोजित होने वाली ऑफलाइन एवं ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु निम्नानुसार बेंचों का गठन किया जाता है-

अलवर मुख्यालय			
बेंच स.	लोक अदालत बेंच के अध्यक्ष व सदस्य का नाम	बैठक का स्थान	सुनवाई योग्य प्रकरण
1	MACT Court, Alwar न्यायिक अधिकारी/अध्यक्ष- श्रीमती अनु चौधरी (न्यायाधीश, एसीडी न्यायालय, अलवर) सदस्य- सुश्री सुषमा गुप्ता, अधिवक्ता, (R/405/1985)	न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर	न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण अलवर, वाणिज्यिक न्यायालय अलवर, द्वारा रैफर प्रकरणों हेतु।
2	Family Court No. 01, Alwar न्यायिक अधिकारी/अध्यक्ष- श्री सुनील कुमार गोयल सदस्य- श्रीमती ममता दीक्षित, अधिवक्ता, (R/1133/2007)	पारिवारिक न्यायालय संख्या 01, अलवर	न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर, न्यायालय पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 व 02 अलवर, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 04, 05, 06 के द्वारा रैफर प्रकरणों हेतु।
3	Secretary, DLSA Alwar न्यायिक अधिकारी/अध्यक्ष- श्री मोहन लाल सोनी सदस्य- श्री रामवतार मीणा (तहसीलदार, अलवर) सदस्य- श्रीमती मीरा बाई जैन, अधिवक्ता (R/3344/2010)	कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर	श्रम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण अलवर, श्रम विभाग अलवर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्री-लिटिगेशन प्रकरणों एवं अलवर मुख्यालय पर स्थित समस्त राजस्व न्यायालयों (जिला कलेक्टर अलवर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संख्या 01, 02, शहर अलवर, सहायक कलेक्टर अलवर, राजस्व अपील अधिकारी अलवर, उपखण्ड अधिकारी अलवर, तहसीलदार अलवर, भू-प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी अलवर) के लम्बित प्रकरणों हेतु।
4	ADJ Court No. 03, Alwar न्यायिक अधिकारी/अध्यक्ष- श्रीमती ज्योति सोनी सदस्य- श्री अमित पंचौली, अधिवक्ता (R/600/2007)	न्यायालय कक्ष, ADJ No. 03 Court, Alwar	न्यायालय स्थाई लोक अदालत अलवर, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अलवर, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, 02, 03 के द्वारा रैफर प्रकरणों हेतु।
5	CJM Court, Alwar न्यायिक अधिकारी/अध्यक्ष- डॉ. नेहा गोयल सदस्य- श्रीमती प्रीति गोयल, अधिवक्ता (R/409/2013)	न्यायालय कक्ष, CJM Court, Alwar	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर, किशोर न्याय बोर्ड अलवर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, 02, 03, 04 व 05 अलवर के प्रकरणों हेतु।


अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला एवं सेशन न्यायालय

अलवर

6	NI Act No. 01, Alwar न्यायिक अधिकारी/अध्यक्ष- श्री करण सिंह सदस्य- श्रीमती सीमा मुखिया, अधिवक्ता (R/3896/2018)	न्यायालय, एनआईएक्ट संख्या 01, अलवर	न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 व 02 अलवर, न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईएक्ट प्रकरण संख्या 01, 02 व 03 अलवर द्वारा रैफर प्रकरणों हेतु।
7	ACJ & JM No. 06, Alwar न्यायिक अधिकारी/अध्यक्ष- श्री लक्षय चावला सदस्य- श्रीमती आरती अग्रवाल, अधिवक्ता (R/1754/2011)	न्यायालय कक्ष, ACJ&JM No. 06 Court, Alwar	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 अलवर के प्रकरणों हेतु।

नोट:-

1. रैफरल न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देश दिया जाता है कि लोक अदालत के एक दिवस पूर्व ही संबंधित बैंच में पत्रावलियां भिजवाते हुए संबंधित न्यायालय से समन्वय स्थापित करें, उपरोक्त हेतु केवल एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
2. पीठासीन अधिकारी (बैंच अध्यक्ष) दिनांक 10.10.2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रकरणों हेतु अधिकतम दो मंत्रालयिक कर्मचारी (किसी भी स्तर के) एवं एक सहायक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाना सुनिश्चित करावें।
3. बैंच अध्यक्ष, बैंच में लिंक न्यायालय की सूचना भी आवश्यक रूप से निर्धारित समयानुसार नियत प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. माननीय रालसा द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा-निर्देश दिनांक 10.10.2026 की पालना सुनिश्चित की जावे।
5. बैंच द्वारा मध्याह्न की सूचना दोपहर 01:00 बजे एवं अंतिम सूचना सांय 04:00 बजे तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर को भेजी जावे।
6. राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन ही निस्तारित प्रकरणों को सीआईएस पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. राष्ट्रीय लोक अदालत के दिवस बैंच अध्यक्ष साफ-सफाई की व्यवस्था करते हुए पर्याप्त कचरा-पात्र भी उचित स्थान पर रखवाया जाना सुनिश्चित करें एवं इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि अधिवक्तागण, पक्षकारान् व अन्य व्यक्ति कागज, डिस्पोजल व अन्य सामग्री आदि को अन्यत्र स्थान पर न फेंके।


अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अलवर (राज0)

क्रमांक:- २०२६/एनएलए-०३/२०१३-९६
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक:- ०६/१०/२६

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, अलवर।
3. श्रीमान् न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर।

4. श्रीमान् न्यायाधीश, श्रम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अलवर।
5. श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 एवं 02, अलवर।
6. श्रीमान् न्यायाधीश, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर।
7. श्रीमान् न्यायाधीश, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
8. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अलवर।
9. श्रीमान् अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, अलवर।
10. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/अजजा (अनिप्र), अलवर।
11. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, न्यायालय पोक्सो संख्या-01, 02, 03, 04 अलवर
12. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं० 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 अलवर
13. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर।
14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
15. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं० 01, 02, 03, 04 एवं 05, अलवर।
16. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर
17. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं० 1 एवं 2, अलवर।
18. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईएक्ट प्रकरण सं० 1, 2 एवं 3, अलवर।
19. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं० 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 अलवर।
20. श्रीमान् अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, अलवर।
21. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, राजगढ, लक्ष्मणगढ, थानागाजी, कठूमर, जिला अलवर।
22. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त बैंच आदेश अलवर न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
23. नोडल अधिकारी (राजस्व प्रकरण), राष्ट्रीय लोक अदालत, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त बैंच आदेश अलवर न्यायक्षेत्र के संबंधित सभी राजस्व अधिकारीगण को सूचित करावे।
24. प्रभारी अधिकारी, अभियोजन कार्यालय, अलवर।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज०)